भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ किया

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2016 : भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी ने 5 मार्च, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "महिला जनप्रतिनिधि : सशक्त भारत की निर्माता" संबंधी पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी; प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी; लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन; बांग्लादेश संसद की स्पीकर, डॉ. शिरीन शर्मिन चौधरी; संसद सदस्य; राज्य विधानमंडलों की महिला सदस्य और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।

संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति श्री मुखर्जी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संसद में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व 12% से आगे नहीं बढ़ा है। इस बात की सराहना करते हुए कि पंचायती राज स्तर पर 1.27 मिलियन से भी अधिक महिला प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं का कोटा बढ़ाने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करके स्थिति में सुधार लाने की गुंजाइश है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री की पहल "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में बालिकाओं का उज्जवल भविष्य और कल्याण सुनिश्चित करना तथा बालकों के मुकाबले बालिकाओं की कम होती संख्या के साथ-साथ पूरे जीवनकाल में महिलाओं की अधिकारिता से संबंधित मुद्दों पर विचार करना है। उन्होंने स्त्री शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया जिसका तात्पर्य है कि महिलाओं में सृजन करने और बुराईयों का अंत करने की शक्ति है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस सम्मेलन में विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि महिलाएं समाज की स्थिति में किस प्रकार सुधार ला सकती हैं।

राष्ट्रपति जी ने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि किए बिना वे राष्ट्र निर्माण में अपनी उपयुक्त भूमिका नहीं निभा सकतीं। उन्होंने एक सांसद के रूप में अपने और अपनी पुरानी सहयोगी और अनुभवी नेता, श्रीमती सुषमा स्वराज के अनुभव का उल्लेख किया जब संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु पिछली लोक सभा के दौरान भरसक प्रयास किए गए थे। इस संबंध

में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी राजनीतिक दलों को विधायी निकायों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए।

बांग्लादेश की संसद की स्पीकर डॉ. शिरीन शर्मिन चौधरी, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष भी हैं, की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बांग्लादेश के संसदीय लोकतंत्र में उनकी राजनीतिक संस्थाओं में अपेक्षाकृत पर्याप्त संख्या में महिला प्रतिनिधि हैं और यह एक सुस्थापित परंपरा बन गई है। इस तथ्य को न केवल इसके पड़ोसी देशों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी स्वीकारा गया है।

उपराष्ट्रपति, श्री हामिद अंसारी ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और राजनीति में उनकी सहभागिता के परिणामस्वरूप नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक जवाबदेही सहित लोकतांत्रिक शासन में इसके प्रत्यक्ष लाभ परिलक्षित होते हैं। महिलाएं शांति और अहिंसा के लिए भी प्रायः सशक्त रूप से आवाज उठाती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं को दो तरह से देखा जा सकता है; महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व और विधानमंडलों में महिलाओं का कार्यनिष्पादन। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 43.56% है जो विश्व में सबसे अधिक है। हमारे 16 राज्यों की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है। स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्र और राज्यों के विधानमंडलों में महिला सदस्यों की संख्या में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसद और संसदीय समितियों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है इसलिए उनकी संख्या को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने दलों में अधिक महिला सदस्यों को शामिल करें।

लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने प्रतिनिधियों और विशिष्टजनों का स्वागत करते हुए कहा कि देश का विकास राज्यों के विकास पर निर्भर करता है, इसलिए राज्य विधानमंडलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मेलन इस

बारे में है कि महिला जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय कल्याण और विकास में क्या और किस प्रकार से सक्रिय और सार्थक रूप से योगदान कर सकती हैं।

यह टिप्पणी करते हुए कि वृद्धि दर अथवा प्रति व्यक्ति आय देश के समग्र विकास का एकमात्र मानदंड नहीं है, श्रीमती महाजन ने इस बात पर जोर दिया कि इसके अनुरूप ही सामाजिक विकास और सुशासन भी होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रशासक के रूप में महिलाएं राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान कर सकती हैं। श्रीमती महाजन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अध्ययन का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि यदि कार्यबल में महिलाओं की संख्या पुरूषों की संख्या के समान हो तो सकल घरेलू उत्पाद में 27% वृद्धि होगी जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी।